परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 736/ जिला योजना/ 2013–14 दिनांक 05.09.2013 द्वारा जनपद बागेश्वर में ह्वीलकुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट तक मोटर मार्ग (वन भूमि हस्तान्तरण के लिए) रू0 0.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा जनपद बागेश्वर के तहसील गरूड़ के अन्तर्गत अल्मोड़ा–ग्वालदम मोटर मार्ग के कि0मी0 82 से ह्वीलकुलवान तक 5 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सर्वेक्षण उपरान्त 4.4187 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ यू.सी.पी./ 06/ 273/ एफ.सी./ 1166 दिनांक 16.01.2009 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं राज्य सरकार के शासनादेश संख्या जी.आई.–1882/ 7–1–2009–600 (2028)/ 2007 दिनांक 27.01.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी ओर कन्धार–रौल्याणा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ज्योणास्टेट तक मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिस पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी/ यू.सी.पी./ 06/ 152/ 2008/ एफ.सी./ 2336 दिनांक 04.02.2011 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं राज्य सरकार के शासनादेश संख्या जी.आई.–2545/ 7–1–2011–600 (2179)/ 2008 दिनांक 10.03.2011 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस बीच के भाग में सड़क निर्माण न होने के कारण स्थानीय जनता को दोनों निर्मित सड़कों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और लगभग 40 कि0मी0 घूम कर भारी सामान को लाना ले जाना पड़ता हैं। सर्वेक्षण उपरान्त इस मिसिंग लिंक मार्ग की लम्बाई 1.300 कि0मी0 आती है। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को अन्य सुविधाओं के साथ साथ गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। मार्ग के संरेखण में 0.910 है0 वन भूमि एवं मात्र 80 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं,। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। उक्त निर्मित मोटर मार्गों के चारों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस लिंक मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर